न्यायालय—नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0—344/2019

राजेश प्रसाद कुशवाहा...वादी

बनाम

सुकट प्रसाद कुशवाहा...प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
23.01.2025	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 21.06.2024 संबंधित आदेश 13 नियम 01 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 21.06.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपने हकियत की घोषणा, दखल कब्जा की संपुष्टि के साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया है। वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमि की जमाबंदी सं0—295 वादी के पिता प्रहलाद प्रसाद के नाम पर कायम है जिसके अंतर्गत निर्गत मालगुजारी रसीद वर्ष 2016—17 एवं 2022—23 दो फर्द मूल मालगुजारी रसीद दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी ने घ ार के पुराने बक्से में खोजबीन किया तो वादी को जमाबंदी सं0—295 बनाम प्रहलाद महतो के नाम वर्ष 1996—97, 1999—2000, 2000—01, 2005—06, 2010—11 एवं 2015—16 कुल 06 फर्द मालगुजारी रसीद एवं एक फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 1976—77 प्राप्त हुआ, जो सूची के साथ दाखिल किया जा रहा है। सभी मालगुजारी रसीद वादग्रस्त भूमि के उचित निर्णय हेतु आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सात फर्द मालगुजारी रसीद बनाम प्रहलाद महतो जमाबंदी सं0—295 के दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए इसे अभिलेख पर रखने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाय ताकि उचित प्रकिया से इसे प्रदर्श अंकित कराया जा सके। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0–344/2019

राजेश प्रसाद कुशवाहा...वादी

बनाम

सुकट प्रसाद कुशवाहा...प्रतिवादी

लगातार 23.01.2025	होता है अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। वादी के द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 21.06.2024 स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 20.03.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	